

कार्यालय अंचल अधिकारी, करा।

आदेश पत्रक

अनिलेख वाद सं०—.....536...../2016-17

वाद का प्रकार:— बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

* की गई कार्रवाई की टिप्पणी

आदेश का क्रमांक सं० एवं तिथि

27.11.2016

झारखण्ड सरकार के ज्ञापक 2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, मू-अर्जुन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं०-03 खा०म०निति-119/85/2308/रा० दिनांक:- 03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय परिपत्र सं०-914/रा०, दिनांक:-09.12.1198 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजदूरा खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि - नौजा घामा खट्टिया थाना नं० 95 खाता नं० 55 खेचरा नं० 644 रकबा 3.58 एकड़ की भूमि जो गैरमजदूरा खास अनावाद बिहार (झारखण्ड)के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस नौजा के पंजी- II के जिल्द संख्या 3051 के पृष्ठ संख्या 3051 पर जमाबंदी रैयत मोरा

पिता/पति करम सिंह मोरा के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को सदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा सनपित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण बंदोबस्ती के आधार पर/लावा हुकुमनाना के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य का क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत का नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त मू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी का अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकारी को रद्द करने हेतु अनुशासित किया जाय।

अनिलेख दिनांक 07/11/2016 को रखें।

लगाव एवं सहायित
अंचल अधिकारी


अंचल अधिकारी

आदेश का कमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी
--------------------	---------------------------------	---------------------------

15.12.2020

अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है। सुनवाई में जमाबंदी रैयत के द्वारा उपस्थिति दी गई है। जमाबंदी रैयत मंगरा मुण्डा वगै० पिता करमसिंह मुण्डा के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में सरकारी लगान रसीद सं० 0761901 वर्ष 2002-03 एवं Form-M (Rent Shedule) वर्ष 1970-71 का छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट सहित) प्राप्त हैं।


जाँच प्रतिवेदनानुसार मौजा कालामुचिया, थाना नं० 95 के सर्वे खतियान में खाता सं० 55, प्लॉट सं० 644, 645. गैरमजुरुआ खास परती कदीम दर्ज है।


राजस्व मांग पंजी II भाग I के पृष्ठ सं० 98 में खाता सं० 55 प्लॉट सं० 644 एवं 645 रकबा क्रमशः 3.58 एवं 1.36 एकड़ कुल रकबा 4.94 मंगरा मुण्डा वगै० पिता करमसिंह मुण्डा के नाम से दर्ज है। सर्वे खतियान में खाता सं० 55 में प्लॉट 644 गैरमजुरुआ खास किस्म मझोला जंगल दर्ज है। पंजी II रैयत के वंशजों द्वारा लगान निर्धारण प्रपत्र Form-M प्रस्तुत किया गया है। खाता नं० 55 प्लॉट सं० 645 रकबा 1.36 एकड़ भूमि पर संबंधित पक्ष का लगभग 45 वर्षों से अधिक समय से दखल-कब्जा है।

राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा खाता सं० 55 प्लॉट सं० 645 रकबा 1.36 एकड़ भूमि की जमाबंदी को नियमितिकरण करने का अनुशंसा किया गया है।

राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर इस वाद की कार्रवाई तत्काल समाप्त की जाती है।

लेखापित संशोधित।


अंचल अधिकारी
करा।


अंचल अधिकारी
करा।